



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

भा.रि.बैं./2025-26/33

डीसीएम (आरएमएमटी) सं.S312/20-02-001/2025-2026

अप्रैल 28, 2025

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी बैंक

महोदया / महोदय,

एटीएम के माध्यम से ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण

जनसमुदाय द्वारा अक्सर उपयोग में लाए जाने वाले बैंकनोटों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह निर्धारित किया गया है कि बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटर (WLAOs) निम्नलिखित अवधि के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम ₹100 और ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को नियमित रूप से वितरण कर रहे हैं :

- 30 सितंबर, 2025 तक: कुल एटीएम के 75% द्वारा कम से कम 1 कैसेट के माध्यम से ₹100 या ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण।
- 31 मार्च, 2026 तक: कुल एटीएम के 90 % द्वारा कम से कम 1 कैसेट के माध्यम से ₹100 या ₹200 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का वितरण।

भवदीया

(सुमन नाथ)

मुख्य महाप्रबंधक

मुद्रा प्रबंध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, चौथी मंज़िल, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 1379, मुंबई-400001(भारत)

फोन: +91-22-2260 3000 / 4000; फ़ैक्स: +91-22-2266 2442; ई-मेल: cgmincdcm@rbi.org.in

Department of Currency Management, Central Office, 4th Floor, Amar Building, Sir P. M. Road, Post Box No.1379, Mumbai – 400 001(India); Tel: +91-22-2260 3000 / 4000; Fax: +91-22-2266 2442; E-mail: cgmincdcm@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।